पत्रांक–05/वित्त आयोग(14^{th})–28/2018 न०वि०आ०.....123

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०–हिनू, रांची ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–11/10/18

विषयः– **14वें वित्त आयोग के अधीन मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत Multi Purpose Cultural Complex योजना हेतु तकनीकी स्वीकृत कुल रूपये 4,85,88,800/– (चार करोड़ पचासी लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र की परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 14वें वित्त आयोग के अधीन मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत Multi Purpose Cultural Complex योजना हेतु तकनीकी स्वीकृत कुल रूपये 4,85,88,800/– (चार करोड़ पचासी लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र की परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. परामर्शी Mass N Void Design Consultants द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर मुख्य अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

Summary		
S. No.	**Description of Work**	**Amount**
1	Main Building work	32377379.41
2	Boundary wall	1818461.47
3	Road Work	748319.50
4	Internal & External Electrical Work	5055208.00
5	Plumbing Work & Fire Fighting Work	7632106.79
6	**Total -1**	**47631475.11**
7	1% Labour cess	476314.75
8	**Total-2**	**48107789.86**
9	Contigency @ 1%	481077.89
10	**Total Project Cost**	**485888867.75**
11	**Say Rs.**	**48588800.00**

3. योजना का कार्यान्वयन मिहिजाम नगर परिषद के द्वारा किया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी, मिहिजाम नगर परिषद द्वारा विषयगत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के 01 (एक) माह के अन्तर्गत नियमानुसार संवेदक के चयन की कार्रवाई कर योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ करेंगे एवं इसकी सूचना सरकार को देंगे। योजना की कार्यान्वयन अवधि 09 माह होगी।

4. कार्यपालक पदाधिकारी, मिहिजाम नगर परिषद द्वारा उक्त योजना का कार्यान्वयन नियमानुसार खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए योजना के तकनीकी स्वीकृत अवयवों के अनुरूप कराया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

Mukesh/E/SO/Rajesh-1

5. योजना कार्यान्वयन हेतु 50 प्रतिशत राशि का व्यय 14वें वित्त आयोग के अधीन मूल अनुदान एवं कार्य प्रदर्शन अनुदान के अंतर्गत प्राप्त राशि से किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का व्यय राज्य योजना अंतर्गत नागरिक सुविधा एवं अन्य सुसंगत मद में प्राप्त राशि से किया जाएगा।

6. कार्यपालक पदाधिकारी, मिहिजाम नगर परिषद यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उक्त राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त है।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–05/वित्त आयोग(14th)–28/2018 न०वि०आ० 123 रॉंची, दिनांक– 11/10/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉंची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रॉंची/प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना/उपायुक्त, जामताड़ा/कार्यपालक पदाधिकारी, मिहिजाम नगर परिषद /कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा कोषागार/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Mukesh/E/SO/Rajesh-2